

समाहरणालय सिवान  
(जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

पत्रांक 31/10 / सा।सु.को.0,

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,  
सिवान।

सेवा में,

सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिवान जिला।  
कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, सिवान।

सिवान, दिनांक 24.12.2012

विषय:-

चालु वित्तीय वर्ष 2012-13 में राज्य योजनान्तर्गत बिहार निःशक्तता पेंशन योजना (सामान्य घटक) में पेंशनधारियों को माह- अक्टूबर, 2012 से दिसम्बर, 2012 तक नगद पेंशन भुगतान हेतु राशि का उपावंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, बिहार, पटना के पत्रांक- 70, दिनांक 08.11.2012 से प्राप्त आवंटन वित्त विभागीय स्थायी परिपत्र संख्या- 2561, दिनांक 17.04.1998 में उल्लेखित निदेशों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय राज्यादेश संख्या- 2174, दिनांक 11.10.2012 के आलोक में पेंशनधारियों के पेंशन के नगद भुगतान हेतु संलग्न विवरणी के अनुसार उपावंटित किया जाता है।

2. आवंटित राशि मांग संख्या-51, मुख्य शीर्ष-2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्य शीर्ष-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष-102-समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन, उप शीर्ष-0104-बिहार राज्य विकलांगता सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, विषयशीर्ष-31 06-सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा, विपत्र कोड संख्या **P-2235601020104** तथा स्कीम कोड-WEL-5503 से विकलनीय होगा।
3. आवंटन आदेश की कंडिका-5 के अनुसार उपर्युक्त राशि उपावंटित की जाती है। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निकाय कोषांग से राशि की निकासी कर शिविर के माध्यम से पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
4. जिस मद में राशि उपावंटित की गई है उसे उसी मद में खर्च किया जायगा।
5. उपावंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र सीधे महालेखाकार को भेजते हुए उसकी एक प्रति सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, सिवान को निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जाय।  
उपर्युक्त निदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नक:-

सभी प्रखण्डों एवं नगर परिषद, सिवान को  
उपावंटित राशि की विवरणी (एक प्रति में)।

विश्वासभाजन

22/12/12

जिला पदाधिकारी,  
सिवान।

समाहरणालय सिवान  
(जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

वित्तीय वर्ष 2012-13 में माह- अक्टूबर, 2012 से दिसम्बर, 2012 तक का बिहार निःशक्तता पेंशन योजना (सामान्य घटक) में पेंशन भुगतान हेतु सहायक अनुदान-वेतानादि के अलावा (31 06) मद में प्रखण्डवार आवंटन।

क्र०	प्रखण्ड/नगर निकाय का नाम	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान में आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि
1	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नवतन	781400	298000	1079400
2	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मैरवा नगर पंचायत सहित	1059800	419900	1479700
3	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गुठनी	1142600	456200	1598800
4	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, दरौली	1205000	483500	1688500
5	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जीरादेई	1215800	488200	1704000
6	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिवान	1079000	428300	1507300
7	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हुसैनगंज	1352600	548000	1900600
8	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, आन्दर	859400	332300	1191700
9	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रघुनाथपुर	953000	373300	1326300
10	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिसवन	971000	381000	1352000
11	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हसनपुरा	1037000	410000	1447000
12	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पचरुखी	1589000	651500	2240500
13	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बड़हरिया	1112600	443000	1555600
14	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, महाराजगंज नगर पंचायत सहित	837800	322800	1160600
15	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गोरेयाकोठी	1051400	439900	1491300
16	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बसंतपुर	653000	242000	895000
17	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, लकड़ी नबीगंज	771800	293900	1065700
18	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, भगवानपुर हाट	1220600	490300	1710900
19	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, दरौंदा	1193800	478300	1672100
20	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, सिवान।	195800	19600	215400
<b>कुल योग:-</b>		<b>20282400</b>	<b>8000000</b>	<b>28282400</b>

अरसी लाख रुपये मात्र।

22/12/12  
जिला पदाधिकारी,  
सिवान।

समाहरणालय सिवान  
(जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

पत्रांक ...../सा०सु०को०,

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,  
सिवान।

सेवा में,

सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिवान जिला।  
कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, सिवान।

सिवान, दिनांक .....

विषय:-

चालु वित्तीय वर्ष 2012-13 में राज्य योजना-तर्गत बिहार निःशक्ताता पेंशन योजना (सामान्य घटक) में पेंशनधारियों को माह- अक्टूबर, 2012 से दिसम्बर, 2012 तक नगद पेंशन भुगतान हेतु राशि का उपावंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, बिहार, पटना के पत्रांक- 70, दिनांक 08.11.2012 से प्राप्त आवंटन वित्त विभागीय स्थायी परिपत्र संख्या- 2561, दिनांक 17.04.1998 में उल्लेखित निदेशों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय राज्यादेश संख्या- 2174, दिनांक 11.10.2012 के आलोक में पेंशनधारियों के पेंशन के नगद भुगतान हेतु संलग्न विवरणी के अनुसार उपावंटित किया जाता है।

2. आवंटित राशि मांग संख्या-51, मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्य शीर्ष-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष-102-सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन, उप शीर्ष-0104-बिहार राज्य विकलांगता सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, विषयशीर्ष-31 06-सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा, विपत्र कोड संख्या- **P-2235601020104** तथा स्कीम कोड-WEL-5503 से विकलनीय होगा।
3. आवंटन आदेश की कंडिका-5 के अनुसार उपर्युक्त राशि उपावंटित की जाती है। सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निकाय कोषागार से राशि की निकासी कर शिविर के माध्यम से पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
4. जिस मद में राशि उपावंटित की गई है उसे उसी मद में खर्च किया जायगा।
5. उपावंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र सीधे महालेखाकार को भेजते हुए उसकी एक प्रति सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, सिवान को निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

उपर्युक्त निदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नक:- सभी प्रखण्डों एवं नगर परिषद, सिवान को उपावंटित राशि की विवरणी (एक प्रति में)।

विश्वासभाजन

30

जिला पदाधिकारी,  
सिवान।

ज्ञापांक 31/10 /सा०सु०को०, दिनांक 24/12/2012

प्रतिलिपि:-

कोषागार पदाधिकारी, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-

निदेशक सामाजिक सुरक्षा बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

- D10- डी जिला की website पर प्रकाशन हेतु

25/12/12

जिला पदाधिकारी,  
सिवान।